

## राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ०प्र०, इन्दिरा भवन, लखनऊ ।


पत्रांक 181 / निबंधक/रा०लो०से०अधि०/2020-21

दिनांक ०१- अप्रैल, 2020

### कार्यालय आदेश


माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में अधिकरण कार्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निदेशित किया जाता है कि कोविड-19 कारोना वायरस से पीड़ितों की सहायतार्थ माह मार्च-2020 के वेतन से मूल वेतन से एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर अधिकरण कार्यालय में अपनी रसीद प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त जमा धनराशि का आयकर अधिनियम 1961, की धारा-80 जी के तहत उन्हें आयकर में छूट प्रदान की जायेगी।

  
(प्रतिमा श्रीवास्तव)  
निबंधक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2- समस्त निजी सचिव, मा० उपाध्यक्ष(न्यायिक/प्रशासकीय) के अवलोकनार्थ।
- 3- समस्त निजी सचिव, मा० सदस्य(न्यायिक/प्रशासकीय) के अवलोकनार्थ।
- 4- वैयक्तिक सहायक, निबंधक/संयुक्त निबंधक न्यायिक, रा०लो०से०अधि०, लखनऊ।
- 5- कम्प्यूटर प्रोग्रामर/पुस्तकालयाध्यक्ष/विशेषकार्याधिकारी, रा०लो०से०अधि०, लखनऊ।
- 6- समस्त निजी सचिवों/वैयक्तिक सहायकों को सूचनार्थ।
- 7- समस्त प्रशासनिक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि वह अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों के मध्य प्रचालित कराये।
- 8- लेखाकार को अनुपालन सुनिश्चित कराये के संबंध में सूचनार्थ।
- 9- नाजिर/केअर टेकर, रा०लो०से०अधि० लखनऊ।

  
(प्रतिमा श्रीवास्तव)  
निबंधक